संख्या-109/2024/176/71-1-2024/71-1001/804/2020

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 18 जुलाई, 2024

विषय- राजकीय/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिम्स ग्रेटर नोएडा में संविदा के आधार पर कार्यरत/तैनात चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-104/2019/5044/71-1-2019-जी-63/2008, दिनांक 21.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर कार्यरत/तैनात चिकित्सा शिक्षकों के मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल राजकीय/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिम्स, ग्रेटर नोएडा में संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को निम्नानुसार मानदेय प्रदान किये जाने की एतद्द्धारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	**पदनाम**	**शासनादेश दिनांक 21.11.2019 द्वारा निर्धारित मानदेय (रूपये में)**	**पुनर्निर्धारित नियत मानदेय (रूपये में)**
1	**2**	**3**	**4**
1.	आचार्य	1,35,000/-	2,20,000/-
2.	सह आचार्य	1,20,000/-	1,60,000/-
3.	सहायक आचार्य	90,000/-	1,20,000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-104/2019/5044/71-1-2019-जी-63/2008, दिनांक 21.11.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या-उपरोक्त, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ०प्र०,प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3- निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
4- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
5- समस्त प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
6- समस्त वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
7 - समस्त वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
9- समस्त संबंधित मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग/3-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
11- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2/3/4
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in